प्रेस विज्ञप्ति

निदेशक अल्प संख्यक कल्याण अनु० उ०प्र०लखनऊ के पत्रांक444दिनांक06मई2013, पत्रांक1701दिनांक 24जुलाई2013,पत्रांक754दिनांक 29मई,2013पत्रांक1711दि० 26जुलाई2013 तथा जिलाधिकारी महोदय,सीतापुर के पत्रांक737/जि०अ०क०अ० अ०/भार०सर०छा०यो०/2012-13दिनांक 20अगस्त2013के द्वारा निर्देश निर्गत किये गये है कि भारत सरकार द्वारा संचालित वर्णित छात्रवृत्ति योजनाओं से अल्पसंख्यक समुदाय[मुस्लिम,सिख,ईसाई,बौद्ध एवं पारसी]के सभी वर्गों के पात्र छात्र/छात्राओं को अधिकाधिक लाभान्वित कराया जाये तथा वर्णित योजनाओं के अन्तर्गत शासन द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत छात्र-छात्राओं के त्रुटिरहित आवेदन पत्र/ऑनलाइन कराते हुए जिला अल्प संख्यक कल्याण कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।वर्णित योजनाओं की विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट

पर उपलब्ध है।इस सम्बन्ध में निम्नवत निर्देश दिये जाते है:-

1-प्रीमैट्रिक छात्रवृत्ति योजना- इस योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के सभी वर्गों के ऐसे छात्र/छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रु01.00लाख से अधिक न हो,छात्र/छात्रा किसी शासकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से कक्षा1से 10तक के मध्य अध्ययनरत हो,छात्र-छात्रा द्वारा पिछली कक्षा में 50%: प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये गये हो[कक्षा1को छोड़कर]को इस योजना न्तर्गत लाभान्वित किया जाता है।छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु गत वर्ष के परीक्षा-फल [न्यूनतम 50प्रतिशत]के आधार पर वर्ष 2013-14छात्रवृत्ति का नवीनीकरण कराया जा सकेगा।वर्ष 2012-13में चयनित तथा अर्हता पूरी करने वाले समस्त छात्र-छात्राएं नवीनीकरण के लिए पात्र होंगे।इस योजना के अन्तर्गत 30प्रतिशत छात्रवृत्ति बालिकाओं के लिए आरक्षित रहती है एवं एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को लाभ प्राप्त हो सकेगा।सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को निर्देश दिया जाता है कि योजनान्तर्गत पात्र छात्र-छात्राओं के त्रुटिरहित आवेदन पत्र दिनांक 30-9-2013तक जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी,सीतापुर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2-पोस्ट मैट्रिक [कक्षा11से पी०एच०डी०तक]छात्रवृत्ति योजना- इस योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के सभी वर्गों के ऐसे छात्र-छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रु02,00लाख से अधिक न हो वह कक्षा11 से पी०एच०डी०की कक्षाओं के मध्य अध्ययनरत हो, पिछली कक्षा में 50प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो को लाभान्वित कराया जाता है।इस योजना के अन्तर्गत जिन छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही हो उन्हे किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति अनुमन्य न होगी।इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही मेरिट कम-मीन्स आधारित छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत निर्धारित पाठ्यक्रमों को शामिल नही किया गया है।सत्र 2013-14में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियोजनान्तर्गत छात्र-छात्रा द्वारा अपना आवेदन पत्र स्वयं ऑनलाइन किया जायेगा।वर्ष 2013-14में प्रथम बार आवेदन करने वाले छात्र-छात्राएं नवीन[फ्रेश]छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते है।वर्ष 2012-13 में योजनान्तर्गत चयनित समस्त पात्र छात्र-छात्राएं नवीनीकरण के माध्यम से छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे और ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।छात्र-छात्राओं द्वारा अपना पूर्ण आवेदन ऑनलाइन सबमिट करने के साथ हस्ताक्षर सहित उसकी प्रिंटेड कापी शिक्षण संस्थान में जमा की जायेगी।शैक्षिक संस्थान द्वारा निर्धारित समय में छात्र-छात्रा के ऑनलाइन

---क्रमशः-2पर]

आवेदन की स्क्रूटनी की जायेगी तथा जनपद स्तर को ऑनलाइन फारवर्ड करने के साथ-साथ आवेदन की हार्ड कापी निर्धारित समय के अन्तर्गत जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी।आवेदन पत्र की हार्ड कापी जमा किये बिना ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।सम्बन्धित संस्थाओं के प्राचार्य/निदेशक कृपया अध्ययनरत समस्त पात्र अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को योजना की जानकारी देते हुए आवेदन पत्र नियत तिथि के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन कराया जायें।छात्र-छात्राओं के नवीनी §फ्रेश§आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30-09-2013एवं नवीनीकरण §रिनीवल§ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तिथि - 10-12-2013निर्धारित है।आन लाइन आवेदन

`पर लागिन करके किया जायेगा।

<u>3-मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना-</u> इस योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के सभी वर्गों के छात्र-छात्राएं जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय रु02.50लाख से अधिक न हो तथा छात्र-छात्रा द्वारा पिछली कक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये गए हो,छात्र-छात्रा स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर से तकनिकी व प्रोफेशनल कोर्सेज में अध्ययनरत हो ऐसे छात्र-छात्राओं को रुपये 25हजार एवं छात्रावासीय छात्रों को रुपये 30हजार वार्षिक की दर से छात्रवृत्ति दी जायेगी। इस योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 85विशिष्ट चिन्हित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत पात्र छात्र-छात्राओं को निर्धारित पाठ्यक्रमों हेतु सम्पूर्ण पाठ्यक्रम-शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है।इस योजना के अन्तर्गत जिन छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति मिल रही हो उन्हे किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति अनुमन्य नही होगी।वर्ष 2013-14में प्रथम बार आवेदन करने वाले पात्र छात्र-छात्राएं नवीन§फ्रेश§ छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करेगें तथा वर्ष 2012-13में योजनान्तर्गत चयनित समस्त पात्र छात्र-छात्राएं नवीनीकरण के माध्यम से पात्र होगें और ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।छात्र-छात्राओं द्वारा अपना पूर्ण आवेदन ऑनलाइन सबमिट करने के साथ ही हस्ताक्षर सहित उसकी प्रिंटेड कॉपी सम्बन्धित शिक्षण संस्था में जमा की जायेगी। शैक्षिक संस्थान द्वारा निर्धारित समय में छात्र-छात्रा के ऑनलाइनआवेदन की स्क्रूटनी की जायेगी तथा जनपद स्तर को ऑनलाइन फारवर्ड करने के साथ आवेदन की हार्ड कापी निर्धारित समय के अन्दर जिला अल्प संख्यक कल्याण कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी आवेदन पत्र की हार्ड कापी जमा किये बिना ऑनलाइन आवेदन ग्राह्य नही होगा।इस योजना के अन्तर्गत डाटा ऑनलाइनछात्र-छात्राओं द्वारा स्वयं किया जायेगा।जनपद केउच्च शैक्षिक संस्थान के प्रचार्य/निदेशक कृपया अपने शिक्षण संस्था में अध्ययनरतपात्र अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को योजना की जानकारी देते हुए आवेदन पत्रनियत तिथि के अन्तर्गत ऑनलाइन कराना सुनिश्चित करें।छात्र-छात्राओं द्वारा §फ्रेश§आवेदन पत्र ऑन लाइन करने की अन्तिम तिथि30-09-2013व नवीनीकरण ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि31-12-2013की नियत की गयी है।ऑनलाइन आवेदन -

पर लागिन करके किया जायेगा।

डा0§सच्चिदानन्द यादव§
जिला विद्यालय निरीक्षक,
सीतापुर।

§- - - -3 पर§

कार्यालय: जिला विद्यालय निरीक्षक,सीतापुर

पत्रांक-डा0/अल्प संख्यक/ 3938-44 /2013-14दिनांक29/8/13

प्रतिलिपि- निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-जिलाधिकारी महोदय,सीतापुर को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

2- मुख्य विकास अधिकारी महोदय,सीतापुर।

3-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी,सीतापुर।

4- जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी,सीतापुर

5-जिला सूचना अधिकारी,सीतापुर को इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन जनहित में कराने का कष्ट करें।

6- जनपद के समस्त शैक्षिक संस्थान §राजकीय/अशासकीय/वित्त विहीन इण्टर कालेज/डिग्री कालेज/इंजीनियरिंग कालेज/फोशन कोर्स /लाकालेज के प्रधानाचार्य/प्राचार्य/निदेशक को उक्त के अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला विद्यालय निरीक्षक,
सीतापुर।